उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211013

Ph. : 0532-2447035 (O)
Fax : 0532-2447036

एम.एल. कनौजिया
कुलसचिव

संख्या : ओ.यू./ए.सी./(225-24)/567/2010 दिनाँक : 06/08/2010

आदरणीय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनाँक 04 अगस्त, 2010 को **विद्या परिषद्** की सम्पन्न आपातकालीन **24वीं बैठक** का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

(एम.एल. कनौजिया)

संलग्नक : उक्तवत

O/C

1. प्रो. नागेश्वर राव, कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. डॉ. सी.एल. खेत्रपाल, पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, निदेशक, सेण्टर फॉर बायो मेडिकल मैग्नेटिक रिसोनेन्स, एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ।
3. प्रो. विनय पाठक, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. प्रो. ए.के. गुप्ता, पूर्व निदेशक, जे.के. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, फ्लैट नं. – 113, अशोक नगर, दुर्गा पूजा पार्क के पास, विनायक इन्क्लेव, इलाहाबाद।
5. प्रो. पी.आर. अग्रवाल, स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज, एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद।
6. डॉ. जोखन सिंह, पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, द्वारा – श्री राजेश सिंह, ब्रोचा हास्टल, ए–ब्लाक, वार्डन क्वार्टर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
7. डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
8. डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
9. डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
10. डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
11. डॉ. नागेन्द्र यादव, उपाचार्य, प्रबन्धन अध्यान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
12. डॉ. (श्रीमती) इति तिवारी, उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
13. श्री अच्छे लाल, प्रवक्ता, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
14. श्रीमती मीरा पाल, प्रवक्ता, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
15. कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013

।। सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ।।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की सम्पन्न विद्या परिषद् के आपातकालीन बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	24
दिनाँक	:	04 अगस्त, 2010
समय	:	पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान	:	कुलपति कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 04 अगस्त, 2010 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की आपातकालीन 24वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो नागेश्वर राव, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. पी.आर. अग्रवाल, स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज, एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. नागेन्द्र यादव, उपाचार्य, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. (श्रीमती) इति तिवारी, उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

9. श्री अच्छे लाल, सदस्य
प्रवक्ता, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10. श्री एम.एल. कनौजिया सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) डॉ. सी.एल. खेत्रपाल,
(पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)
निदेशक, सेण्टर फॉर बायो मेडिकल मैग्नेटिक रिसोनेन्स,
स.जी.पी.जी.आई., लखनऊ

(2) प्रो. विनय पाठक,
कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल

(3) प्रो. ए.के. गुप्ता,
(पूर्व निदेशक, जे.के. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)
फ्लैट नं. – 113, अशोक नगर, दुर्गा पूजा पार्क के पास,
विनायक इन्क्लेव, इलाहाबाद

(4) डॉ. जोखन सिंह,
(पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय)
द्वारा -- श्री राजेश सिंह, ब्रोचा हास्टल,
ए–ब्लाक, वार्डन क्वार्टर,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

(5) श्रीमती मीरा पाल,
प्रवक्ता, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 24.01

बी.एड. (दूरस्थ प्रणाली) की प्रवेश अर्हता के सम्बन्ध में NCTE द्वारा दिनाँक 23 जुलाई, 2010 को निर्गत अधिसूचना को अंगीकृत करने पर विचार

इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड. कार्यक्रम की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जयपुर (NCTE) के पत्राँक F.NRC/NCTE/F-3/UP-748/2003/859, दिनाँक 21 मई, 2003 द्वारा प्राप्त है। गत सत्र तक बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होते थे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हों और उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, सेकेण्ड्री, सीनियर सेकेण्ड्री अथवा हायर सेकेण्ड्री स्कूल में अध्यापक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हो तथा मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षण का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो। उल्लेखनीय है कि इस योग्यता के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2010–11 में बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञापन मार्च/अप्रैल, 2010 में कराया गया था। दिनाँक 31 अगस्त, 2009 को **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्** (NCTE) द्वारा निर्गत अधिसूचना के अन्तर्गत बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता को प्रतिस्थापित किया गया था, जो निम्नवत है :–

(a) (i) Graduation/Post-Graduation Degree with fifty five percent marks.
(ii) Two year teaching experience in a Government or Government Recognized school.

(b) A State University will admit only those candidates who are working in schools located in the territorial jurisdication assigned to it by the University Act.

उक्त संशोधन को संज्ञान में लाये जाने पर प्रश्नगत अधिसूचना कार्य परिषद् की दिनाँक 02 जून, 2010 को आपातकालीन बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसे कार्य परिषद् ने स्वीकार करते हुए एवं 02 जून, 2010 से इसे प्रभावी मानते हुए प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति कार्यालय को प्रेषित करने का निर्णय लिया था। तद्नुसार अध्यादेश में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव **(संलग्नक–01)** महामहिम कुलाधिपति कार्यालय को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./285/2010 दिनाँक 08–06–2010 द्वारा प्रेषित किया गया था। उपरोक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) को अभ्यावेदन दिया था। इस दौरान विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित रखा था। दिनाँक 23 जुलाई, 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना के अन्तर्गत बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता के बिन्दु a (i) को प्रतिस्थापित किया गया है जो निम्नवत है :–

"(i) Graduation or Post-Graduation Degree with fifty percent marks : provided that the requirement of fifty percent marks shall not apply to persons appointed as teachers prior to the commencement of the National Council for Teacher Education (Regulations, Norms and Procedure) Second Amendment Regulations 2010"

"(1) **पचास प्रतिशत अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर** : पचास प्रतिशत अंक की आवश्यकता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) द्वितीय संशोधन विनियम 2010 के लागू होने से पहले, शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

दिनाँक 02 जून, 2010 के कार्य परिषद् में स्वीकृत प्रस्ताव के अन्य संशोधन [(a) (ii), (b)] यथावत रहेंगे।

अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्गत दिनाँक 23 जुलाई, 2010 की अधिसूचना **(संलग्नक–02)** में उल्लिखित अर्हता के अनुसार अध्यादेश के बिन्दु a (i) के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव **(संलग्नक–03)** विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

"निश्चय किया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्गत दिनाँक 23 जुलाई, 2010 की अधिसूचना में उल्लिखित अर्हता के अनुसार अध्यादेश के बिन्दु a (i) के प्रतिस्थापन के प्रस्ताव (संलग्नक–03) को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय। यह भी प्रस्तावित किया गया कि इस अधिसूचना के सन्दर्भ में पुनः विज्ञापन किया जाय।"

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(एम.एल. कनौजिया)
कुलसचिव

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211013

एम.एल. कनौजिया
कुलसचिव

Ph. : 0532-2447035 (O)
Fax : 0532-2447036

संलग्नक-01

पत्रांक ओ.यू./ 285/2010

दिनाँक : 08–06–2010

सेवा में,

विशेष सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0
राजभवन
लखनऊ

विषय :–**NCTE द्वारा दिनाँक 31 अगस्त, 2009 को निर्गत अधिसूचना में बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु उल्लिखित अर्हता के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेश को सुस्पष्ट करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./220/2010 दिनाँक 22–05–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 22 मई, 2010 में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 2002 **(पृष्ठ संख्या 01 से 06)** एवं बी.एड. अध्यादेश **(पृष्ठ संख्या – 07 से 08)** में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव **(परिशिष्ट–01)** संलग्न कर प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि बी.एड. अध्यादेश में परिवर्तन हेतु भेजे गये प्रस्ताव **(परिशिष्ट–01)** को सुस्पष्ट करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 02 जून, 2010 में पुनर्विचार किया एवं अध्यादेश के प्रारूप को सुस्पष्ट करते हुए कार्य परिषद् के बैठक के संकल्प संख्या 46.01 (क) को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार किया है। दिनाँक 22 मई, 2010 को भेजे गये प्रस्ताव के स्थान पर बी.एड. अध्यादेश में परिवर्तन के सम्बन्ध में दिनाँक 02 जून, 2010 को कार्य परिषद के बैठक की कार्यसूची/कार्यवृत्त और कार्य परिषद के संशोधित प्रस्ताव की प्रति **(परिशिष्ट–02)** प्रेषित की जा रही है।

अतः कृपया पूर्व प्रेषित बी.एड. अध्यादेश सम्बन्धी परिवर्तन **परिशिष्ट–01** के स्थान पर नये संशोधित प्रस्ताव **(परिशिष्ट–02)** को प्रतिस्थापित करने का कष्ट करें एवं कार्य परिषद् के निर्णयानुसार उक्त संशोधित प्रस्ताव दिनाँक 02 जून, 2010 से प्रभावी होगा।

भवदीय,

(एम.एल. कनौजिया)
कुलसचिव

संलग्नक : उक्तवत

परिशिष्ट-01
(पूर्व... ति)

The Ordinances Governing the B.Ed. Distance Mode Two Year Programme

Present Description	Proposed Amendment	Justification
VI Eligibility for Admission		
1.A candidate who is working teacher in a pre-primary/primary/middle/junior high school/secondary/senior secondary/higher secondary school located within the geographical boundaries of Uttar Pradesh. having at least two years teaching experience and possesses Bachelor's degree of any University in India incorporated by law for the time being in force or any equivalent degree/certificate recognized by the University may be admitted to the B.Ed. of the University.	1.The eligibility norms for admission to B. Ed. Distance Mode Two year Programme of the University shall be such as decided by the NCTE from time to time. विश्वविद्यालय के मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति से प्रदान की जाने वाली द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु अर्हता सम्बन्धी मानक ऐसी होगी जैसा कि समय–समय पर एन.सी.टी.ई द्वारा निर्धारित की जायेगी।	Vide notification dated 31 August 2009, the NCTE has amended the norms and standards of teacher education programmes.

6

2. Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at intermediate level out of the following-Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology and Economics.	2. Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at graduation level and one subject at intermediate level out of the following- Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology, Economics, Commerce, Agriculture and their allied subjects as decided by the University/NCTE from time to time. केवल वही अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे, जो या तो स्नातक स्तर पर दो विषय चयनित किये हों या स्नातक स्तर पर एक विषय चयनित किये हों और इण्टरमीडिएट स्तर पर निम्न में से एक विषय का चयन किया हो–हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कृषि और इनके सहबद्ध विषय जैसा कि समय–समय पर विश्वविद्यालय/एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित की जायेंगी।	Commerce, agriculture and other emerging allied subjects need to be included in the programme.

परि-निरस्त-02
(संशोधित रूप)

Ordinances for the Degree of Bachelor of Education (B.Ed.)

VI. Eligibility for Admission

Present Provision	Amendment	Justification
(1) A candidate who is working teacher in a pre-primary/ primary/ middle/ junior high school/ secondary/ senior secondary/ higher secondary school located within the geographical boundaries of Uttar Pradesh, having at least two years teaching experience and possesses Bachelor's degree of any university in India incorporated by law for the time being in force or any equivalent degree/ certificate recognised by the University may be admitted to the B.Ed. course of the university.	(1) (a) (i) Graduation / Post- Graduation Degree with fifty five percent marks. (ii) Two years teaching experience in a Government or Government recognized school. (b) A State University will admit only those candidates who are working in schools located in the territorial jurisdiction assigned to it by the University Act.	Amendment has been made as per NCTE Gazette Notification made on August 31, 2009.
(2) Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at graduation level and one subject at intermediate level out of the following - Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology and Economics	(2) Candidates eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course are required to have either two subjects at graduation level or one subject at graduation level and one at intermediate level out of the following subjects - Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology, Economics, Commerce, Agriculture and their allied subjects	Commerce, Agriculture and other emerging allied subjects need to be included in the programme.
(3) The university will choose only those departments/ colleges as study centres for running B.Ed. course which are already approved by the National Council for Teacher Education for B.Ed. and will not run a such B.Ed. (Distance mode course) of any other university.	(3) Following category of institutions shall qualify to become the Study Centre :- Existing Teacher Training institutions recognized by NCTE for offering the same programme in face to face mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms. Institutions having offered the relevant teacher training course for at least five years durations Institutions declared as Study Centre for one course / programme of a University shall not be the Study Centre for any other programme of the same or any other University	NCTE Gazette Notification, 2009
(4) The candidates for the course shall be admitted in accordance of the score obtained in the B.Ed. admission test organised by the university. The reservation policy of the State Government shall be followed for providing opportunities of upliftment to the SC/ ST/ OBC candidates as well as for other categories of applicants.	(4) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the State Government.	Based on NCTE Gazette Notification, 2009

8

हिन्दी रूपान्तरण

संशोधन

(1) (क) (i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने का दो वर्ष का अनुभव।

(ख) राज्य विश्वविद्यालय केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दाखिल करेगा जो विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा उसे आबंटित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित स्कूलों में कार्यरत हों।

(2) केवल वही अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे जो या तो स्नातक स्तर पर अग्रांकित में से कोई दो विषय चयनित किये हों या स्नातक स्तर पर एक विषय चयनित किये हों और इण्टरमीडिएट स्तर पर एक विषय का चयन किया हो – हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कृषि और इनके सहबद्ध विषय।

(3) केवल निम्न श्रेणी के संस्थान अध्ययन केन्द्र बनाने के योग्य होंगे :–

ऐसे संस्थान जिन्हें आमने–सामने पद्धति से उसी कार्यक्रम को चलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की मान्यता प्राप्त है और जिनके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों के अनुसार सभी अपेक्षित आधारिक–तंत्र और स्टाफ मौजूद है। ऐसे संस्थान जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए संगत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया हो। विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में घोषित संस्थान, उसी या किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र नहीं होगा।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों हेतु आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगा।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

क परिषद् की दिनाँक 02 जून, 2010 की बैठक के कार्यसूची बिन्दु संख्या 46.01 (क) की कार्यवृत्त

कार्यसूची बिन्दु संख्या 46.01 (क)

NCTE द्वारा दिनाँक 31 अगस्त, 2009 को निर्गत अधिसूचना में बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु उल्लिखित अर्हता के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेश में सुस्पष्ट करने पर विचार।

कार्य परिषद् की दिनाँक 22 मई, 2010 की बैठक के संकल्प संख्या 45.07 (च) "विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 2002 एवं बी.एड. अध्यादेश में परिवर्तन हेतु समिति की संस्तुतियों पर विचार" के अन्तर्गत निम्नवत निर्णय लिया गया था :–

"निश्चय किया गया कि समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय। समिति की अनुशंसा को कार्य परिषद् की बैठक की तिथि से प्रभावी किये जाने का प्रस्ताव भी कार्य परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।"

"विद्या परिषद् की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया तथा निश्चय किया कि उक्त संशोधन दिनाँक 22 मई, 2010 से प्रभावी होगा।"

उक्त निर्णयानुसार अध्यादेश में संशोधन का प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है **(संलग्नक – 01)**। सूच्य है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद" (NCTE) द्वारा निर्गत दिनाँक 31 अगस्त, 2009 के अधिसूचना जिसे निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा द्वारा संज्ञान में लाया गया है, में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली से चलाये जाने वाले बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश की अर्हता में परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 55% अंक की बाध्यता की गयी है। अध्यादेश में संशोधन हेतु प्रेषित सम्बन्धित प्रस्ताव में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्गत अधिसूचना में उल्लिखित अर्हता के अनुसार सुस्पष्ट करने हेतु **संलग्नक – 01** के स्थान पर अध्यादेश में तत्सम्बन्धी संशोधन का नया प्रस्ताव **(संलग्नक – 02)** विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

"निश्चय किया कि दिनाँक 15 मई, 2010 की विद्या परिषद् के बैठक के संकल्प संख्या 22.10 के अन्तर्गत बी.एड. प्रवेश अर्हता के सम्बन्ध में अध्यादेश में परिवर्तन के प्रस्तावित प्रावधान (संलग्नक – 01) के स्थान पर अध्यादेश में संशोधन का नया प्रस्ताव (संलग्नक – 02) स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

कार्य परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

"निश्चय किया कि विद्या परिषद् की उक्त अनुशंसा को कतिपय भाषा सम्बन्धी परिवर्तनों (संलग्नक–03) के साथ स्वीकार किया जाय एवं इसे 02 जून, 2010 से प्रभावी माना जाय। प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति सचिवालय को प्रेषित किया जाय।"

....

सत्य प्रति प्रमाणित

(एम.एल. कनौजिया)
कुलसचिव

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

संलग्नक-02

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2010/श्रावण 4, 1932
No. 188] NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2010/SHRAVANA 4, 1932

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2010

फा. सं. 51-1/2009/रा.अ.शि.प. (एन एंड एस).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि), दूसरा संशोधन विनियम, 2010 कहलाएंगे ।
   (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 (जिसे इसमें आगे उक्त विनियम कहा जाएगा) के विनियम 5 में, —

   (क) उप-विनियम (4) में शब्द और अंक "1 सितम्बर से 31 अक्तूबर" के लिए शब्द और अंक "1 अगस्त से 30 सितम्बर" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

   (ख) उप-विनियम (6) में शब्द और अंक "15 मई" के लिए शब्द और अंक "31 जुलाई" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

3. उक्त विनियम के विनियम 7 में, —

   (क) उप-विनियम (1) के मद 1 में शब्द "निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रति में आवेदन" के लिए शब्द "ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन के प्रिन्ट आउट की तीन प्रति" प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ख) उप–विनियम (9) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, नामतः–

"बशर्ते कि शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम. एड) पाठ्यक्रम के मामले में स्टाफ या संकाय, सगस्त को इस विनियम के तहत मांग पत्र जारी करने की तिथि के बाद छह महीने की अवधि के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मानदण्ड के अनुसार नियुक्त किया जाएगा"

4. उक्त विनियम के परिशिष्ट – 4 के, पैराग्राफ 4 में, –

(क) उप पैराग्राफ (i) के, मद (ii) में शब्द "सात" के लिए शब्द "छह" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) उप पैराग्राफ (ii) में, मद (i) के नोट में अंक और शब्द "65 वर्ष" के लिए शब्द "सत्तर वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. उक्त विनियम के परिशिष्ट – 6 में, –

(क) पैराग्राफ 3 के, उप पैराग्राफ 1 के, खंड (क) में, शब्द "पच्चीस छात्र" के लिए शब्द "पैंतीस छात्र" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) पैराग्राफ 4 में,

(i) उप पैराग्राफ (I) में,–

(क) मद (ii) में, शब्द "उपर्युक्त की तरह आनुपातिक रूप से" के लिए शब्द "रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर–1 के अनुपात में, लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर–दो" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) मद (ii) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः –

"(iii) शिक्षा स्नातक और शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने वाले संबद्ध या अंगीभूत कॉलेजों के मामले में प्रोफेसर के लिए निर्धारित उसी पात्रता तथा शर्तों के साथ एक प्रोफेसर के स्थान पर, एक प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष की प्रोफेसर के ग्रेड में नियुक्ति की जाएगी :

बशर्ते कि ऐसे संस्थानों में संकाय की आवश्यकता शिक्षा स्नातक (एक इकाई) और शिक्षा में मास्टर डिग्री (एक इकाई) दोनों के लिए प्रोफेसर के ग्रेड में एक प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष, एक रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर और नौ लेक्चरर या सहायक प्रोफेसर होगा और विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के मामले में, जो केवल शिक्षा में मास्टर डिग्री प्रदान करता है, अपेक्षित संकाय एक प्रोफेसर, एक रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर और तीन लेक्चरर या सहायक प्रोफेसर होगा और शिक्षा स्नातक और शिक्षा में मास्टर डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान के लिए दोनों पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त संकाय एक प्रोफेसर, एक रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर और नौ लेक्चरर या सहायक प्रोफेसर होगा"

(ग) उप पैराग्राफ (II) में, नोट में शब्द "पैंसठ वर्ष" के लिए शब्द "सत्तर वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाएगा

6. उक्त विनियम के परिशिष्ट – 7 में,–

(क) पैराग्राफ 3 में,—

(i) उप–पैराग्राफ (1) में, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, नामतः –

"बशर्ते कि अपनी प्रवेश क्षमता को उन्नत करने के इच्छुक मान्यता प्राप्त संस्थान को अतिरिक्त प्रवेश क्षमता के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संबंधित क्षेत्रीय समिति को आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और तत्पश्चात् क्षेत्रीय समिति इन विनियमों के तहत अनुदेशात्मक और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के मूल्यांकन के बाद यदि शारिरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम की मान्यता की स्थिति में कोई प्रतिबंध न हो, तो अतिरिक्त प्रवेश क्षमता की मंजूरी देगा; बशर्ते और कि 100 स्थानों की प्रवेश क्षमता को केवल उन कॉलेजों के मामले में अनुमोदित किया जाएगा जिसकी स्थापना इन विनियमों के प्रारंभ होने के बाद हुई है और जो विशेषकर शारीरिक शिक्षा के लिए अलग संस्थान का प्रस्ताव कर रहे है"

(ii) उप पैराग्राफ (2), के लिए निम्नलिखित उप पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः –

"(2) पात्रता

पचपन प्रतिशत अंक के साथ शारीरिक शिक्षा एक मुख्य विषय के साथ स्नातक डिग्री; या

पैंतालिस प्रतिशत अंक के साथ शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक डिग्री और भारतीय विश्वविद्यालय संघ या भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद या एथलेटिक्स में राष्ट्रीय या राज्य या अंर्तविश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा में भागीदारी हो; या

पैंतालिस प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री और खेलकूद या एथलेटिक्स में राष्ट्रीय या राज्य या अंर्तविश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा में भागीदारी हो; या

प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थियों (प्रशिक्षित शारिरिक शिक्षा शिक्षक / कोच) के लिए पैंतालिस प्रतिशत अंक के साथ स्नातक और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव; या

बशर्ते कि अजा या अजजा या अपिव या अन्य श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगा और उन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की पात्रता योग्यता के अंकों में पांच प्रतिशत की छूट की अनुमति दी जाएगी";

(ख) पैराग्राफ 4 में, उप पैराग्राफ (II) में, नोट में अंक और शब्द "65 वर्ष" के लिए शब्द "सत्तर वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

7. उक्त विनियम के परिशिष्ट — 8 में, -

(क) पैराग्राफ 3 में, उप पैराग्राफ (2), में खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"कम से कम पचपन प्रतिशत अंक के साथ शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.ई.) या स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में विज्ञान स्नातक (बी. एससी.) और खेलकूद में डिग्री ।

(ख) पैराग्राफ 4 के, उप पैराग्राफ (ii) के, नोट में अंक और शब्द "65 वर्ष" के लिए शब्द "सत्तर वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

8. उक्त विनियम के परिशिष्ट 10 के, पैराग्राफ 5 के, उप पैराग्राफ (2) में, खंड (क) में, उप खंड (i) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"(i) पचास प्रतिशत अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर: पचास प्रतिशत अंक की आवश्यकता राष्ट्रीय अध्यापक परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) द्वितीय संशोधन विनियम 2010 के लागू होने से पहले, शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी" ।

हसीब अहमद, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/131/10/असा.]

टिप्पण : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में 31 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या एफ. 51-1/2009/रा.अ.शि.प. (एन एंड एस) द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे 30 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या एफ. 48-3(1)/2008/रा.अ.शि.प. (एन एंड एस) द्वारा संशोधित किया गया था ।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2010

F. No. 51-1/2009/NCTE (N&S).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2009, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Second Amendment Regulations, 2010.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 5, -

   (a) In sub-regulation (4), for the words and figures "the 1st day of September till 31st day of October", the words and figures "*the 1st day of August till 30th day of September*" shall be substituted;

(b) in sub-regulation (5), for the words and figure "the 15th day of May", the words and figure *"the 31st day of July"* shall be substituted.

3. In regulation 7 of the said regulations,-

(a) in sub-regulation (1), in item i, for the words "Application in triplicate on the prescribed format", the words *"The copy of the print-out of the application submitted online in triplicate"* shall be substituted;

(b) in sub-regulation (9), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that in the case of Master of Education (M.Ed.) course the staff or the faculty may be appointed as per National Council for Teacher Education norms within a period of six months after issue of letter of intent under this sub-regulation".

4. In Appendix-4 to the said regulations, in paragraph 4,-

(a) in sub-paragraph (I), in item (ii), for the word "seven", the word *"six"*, shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (II), in the Note to item (i), for the figure and word "65 years", the words *"seventy years"* shall be substituted.

5. In Appendix-5 to the said regulations,-

(a) in paragraph 3, in sub-paragraph 1, in clause (a), for the words 'twenty five students', the words *'thirty five students'* shall be substituted;

(b) in paragraph 4,

(i) in sub-paragraph (I),-

(A) in item (ii), for the words "proportionately as above", the words *"in the proportion of Reader / Associate Professor – one, Lecturers/ Assistant Professors – two"* shall be substituted;

(B) after item (ii), the following item shall be inserted, namely:-

"(iii) *In case of affiliated or constituent colleges, offering Bachelor of Education and Master of Education Programmes, in place of a Professor, one Principal / Head of the Department, with same eligibility conditions as specified for a Professor, shall be appointed in the Professor's Grade:*

Provided that the requirement of faculty in such institutions shall be, one Principal or Head of Departments in Professor's grade, one Reader or Associate Professor and nine Lecturers or Assistant Professors, both for Bachelor of Education (one unit) and Master of Education (one unit) and in case of University Department of Education, those offering only Master of Education, the required faculty would be one Professor, One Reader or Associate Professor and three lecturers or Assistant Lecturers and for those offering Bachelor of Education and Master of Education the combined faculty for both courses together would be, one Professor, one Reader or Associate Professor and nine Lecturers or Assistant Professors".

2909 GI/10—2

(c) in sub-paragraph(II), in the Note, for the words "sixty-five years", the words *"seventy years"* shall be substituted.

6. In Appendix-7 to the said regulations,-

(a) in paragraph 3, -

(i) sub-paragraph (1), the following paragraph shall be inserted, namely:-

"Provided that the *recognized Institutions willing to upgrade their Intake, shall be required to submit an application to the concerned Regional Committee of National Council for Teacher Education for the additional intake, and thereafter, the Regional Committee after assessing the instructional and infrastructural facilities under these Regulations if there is no restriction in the State of recognition of Bachelor of Physical Education Course sanction the additional intake; provided further that the intake capacity of 100 seats shall be approved only in those colleges which are established after the commencement of these Regulations and proposing a separate institution exclusively for physical education".*

(ii) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) Eligibility

Bachelor's Degree with Physical Education as an elective subject with fifty per cent marks; or

Bachelor's Degree with Physical Education as an elective subject with forty-five per cent marks and participation in National or State or Inter-University competitions in sports or games or athletics recognized by Association of Indian Universities or Indian Olympic Association; or

Bachelor's Degree with forty-five per cent marks and having participated in National or State or Inter-University Sports or games or athletics; or

For deputed in-service candidates (i.e. trained physical education teachers / coaches) Graduation with forty-five per cent marks and at least three years of teaching experience; or

Provided that the reservation of seats for SC or ST or OBC and other categories shall be as in accordance with the Central Government of State Government rules and a relaxation of five per cent in marks in eligibility qualification shall be allowed to candidates belonging to those categories";

(b) in paragraph 4, in sub-paragraph (II), in the Note, for the figure and word "65 years", the words *"seventy years"* shall be substituted.

7. In Appendix-8 to the said regulations,-

(a) in paragraph 3, in sub-paragraph (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or Bachelor of Physical Education (BPE) or Bachelor of Science (B.Sc.) in Health and Physical Education and Degree in sports with at least fifty-five per cent marks.

(b) In paragraph 4, in sub-paragraph (II), in the Note, for the figure and word "65 years", the words *"seventy years"* shall be substituted.

8. In Appendix-10 to the said regulations, in paragraph 5, in sub-paragraph (2), in clause (a), for sub-clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) Graduation or Post-Graduation Degree with fifty per cent marks: Provided that the requirement of fifty per cent marks shall not apply to persons appointed as teachers prior to the commencement of the National Council for Teacher Education (Regulations Norms and Procedure) Second Amendment Regulations, 2010."

HASIB AHMAD, Member-Secy.

[ADVT. III/4/134/10-Exty.]

Note : The principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number F. 51-1/2009/NCTE (N&S), dated the 31st August, 2009 and subsequently amended *vide* notification number F. 48-3(1)/2008/NCTE (N&S) dated the 30th March, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

सलग्नक – 03

Amendment

Present Provision	Amendment	New Amendment	Justification
(1) A candidate who is working teacher in a pre-primary /primary/ middle / junior high school/secondary/ senior secondary / higher secondary school located within the geographical boundaries of Uttar Pradesh, having at least two years teaching experience and possesses Bachelor's degree of any university in India incorporated by law for the time being in force or any equivalent degree / certificate recognised by the University may be admitted to the B.Ed. course of the university.	(1) (a) (i) **Graduation / Post Graduation Degree with fifty five percent marks.**	(1) (a) (i) **Graduation or Post-Graduation Degree with fifty percent marks : provided that the requirement of fifty percent marks shall not apply to persons appointed as teachers prior to the commencement of the National Council for Teacher Education (Regulations, Norms and Procedure) Second Amendment Regulations 2010.**	**Amendment has been made as per NCTE Gazette Notification made on July 23, 2010.**
	(ii) Two years teaching experience in a Government or Government recognized school.	**No Change**	
	(b) A State University will admit only those candidates who are working in schools located in the territorial jurisdiction assigned to it by the University Act.	**No Change**	
(2) Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at graduation level and one subject at intermediate level out of the following - Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology and Economics,	(2) Candidates eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course are required to have either two subjects at graduation level or one subject at graduation level and one at intermediate level out of the following subjects - Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology, Economics, Commerce, Agriculture and their allied subjects.	**No Change**	Commerce, Agriculture and other emerging allied subjects need to be included in the programme.

(3) The university will choose only those departments/ colleges as study centres for running B.Ed. course which are already approved by the National Council for Teacher Education for B.Ed. and will not run a such B.Ed. (Distance mode course) of any other university.	(3) Following category of instructions shall qualify to become the Study Centre :- Existing Teacher Training institutions recognized by NCTE for offering the same programme in face to face mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms. Institutions having offered the relevant teacher training course for at least five years durations Institutions declared as Study Centre for one course / programme of a University shall not be the Study Centre for any other programme of the same or any other University.	**No Change**	Base[illegible]n NCTE Gazette Notification 2009
(4) The candidates for the course shall be admitted in accordance of the score obtained in the B.Ed. admission test organised by the university. The reservation policy of the State Government shall be followed for providing opportunities of upliftment to the SC/ST/OBC candidates as well as for other categories of applicants.	(4) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the State Government	**No Change**	Based on NCTE Gazette Notification 2009